

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2111  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

### न्यायालयों में स्वीकृत रिक्त पद

2111. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल :

श्री अशोक कुमार रावत :

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती :

श्री अब्दुल खालेक :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सहित देश के न्यायालयों में न्यायाधीशों के बड़ी संख्या में स्वीकृत पद रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में न्यायाधीशों के स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और ये पद कब से रिक्त हैं तथा इसके न्यायालय-वार और राज्य-वार क्या कारण हैं ;

(ग) न्यायाधीशों की कमी के कारण पीड़ितों को न्याय देने में हो रहे विलंब को देखते हुए न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय पर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का है ताकि वहां लंबित मामलों की प्रवृत्ति से बचा जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

### उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : 11.12.2023 तक, भारत के उच्चतम न्यायालय (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से, 34 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कोई रिक्ति नहीं है।

जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से, 790 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 324 न्यायाधीश के पद रिक्त हैं । 11.12.2023 को उच्च न्यायालयवार रिक्ति की स्थिति दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण **उपाबंध-1** में है।

इसके अलावा, 11.12.2023 को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की 5,443 रिक्तियां हैं। 11.12.2023 को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में राज्यवार रिक्ति की स्थिति दिखाने वाला एक विस्तृत विवरण **उपाबंध-2** में है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि

विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने का हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं।

जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति के मामले में, संविधान के अधीन केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया का कार्य करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं। मलिक मज़हर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 में पारित न्यायिक आदेश द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ समय-सीमा निर्धारित की है, जिनका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पालन किया जाना है।

**(घ) और (ङ) :** सरकार न्याय के शीघ्र परिदान के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई जो एक वर्ष में नियुक्तियों की महत्वपूर्ण संख्या है। 11.12.2023 को वर्ष 2023 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। साथ ही, 2014 से 11.12.2023 तक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़कर 1114 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या भी वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर 11.12.2023 को वर्तमान 25,439 हो गई है। इसी प्रकार जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर कार्यरत संख्या वर्ष 2014 में 15115 से बढ़कर 11.12.2023 को वर्तमान में 20017 हो गई है।

न्यायालयों में मामलों का लंबित होना न केवल विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण है, बल्कि कई अन्य कारकों का भी परिणाम है जैसे राज्य और केंद्रीय विधानों की संख्या में वृद्धि, प्रथम अपीलों का संचयन, कुछ उच्च न्यायालयों में सामान्य सिविल क्षेत्राधिकार की निरंतरता, उच्च न्यायालयों में जाने वाले अर्ध-न्यायिक मंचों के आदेशों के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण /अपीलों की संख्या, बार-बार स्थगन, रिट क्षेत्राधिकार का अंधाधुंध उपयोग, सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और बंचिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी, अदालतों की छुट्टी अवधि, न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति का काम सौंपना, आदि।

\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**'न्यायालयों में स्वीकृत रिक्त पद' से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 जिसका उत्तर 15.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

11.12.2023 को उच्च न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां
1.	इलाहाबाद	160	91	69
2.	आंध्र प्रदेश	37	30	07
3.	बंबई	94	69	25
4.	कलकत्ता	72	52	20
5.	छत्तीसगढ़	22	15	07
6.	दिल्ली	60	43	17
7.	गुवाहाटी	30	24	06
8.	गुजरात	52	31	21
9.	हिमाचल प्रदेश	17	12	05
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	17	15	02
11.	झारखंड	25	19	06
12.	कर्नाटक	62	52	10
13.	केरल	47	36	11
14.	मध्य प्रदेश	53	40	13
15.	मद्रास	75	67	08
16.	मणिपुर	5	04	01
17.	मेघालय	4	03	01
18.	ओडिशा	33	20	13
19.	पटना	53	35	18
20.	पंजाब और हरियाणा	85	57	28
21.	राजस्थान	50	34	16
22.	सिक्किम	3	03	00
23.	तेलंगाना	42	26	16
24.	त्रिपुरा	5	05	00
25.	उत्तराखंड	11	07	04
	<b>कुल</b>	<b>1114</b>	<b>790</b>	<b>324</b>

न्यायालयों में स्वीकृत रिक्त पद से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 जिसका उत्तर 15.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण 11.12.2023 को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या।

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत संख्या	कुल कार्यरत संख्या	कुल रिक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	618	535	83
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	34	10
3.	असम	485	439	46
4.	बिहार	2016	1543	473
5.	चंडीगढ़	30	29	1
6.	छत्तीसगढ़	562	423	139
7.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
8.	दमण और दीव	4	4	0
9.	दिल्ली	887	798	89
10.	गोवा	50	40	10
11.	गुजरात	1720	1175	545
12.	हरियाणा	772	564	208
13.	हिमाचल प्रदेश	179	158	21
14.	जम्मू-कश्मीर	317	223	94
15.	झारखंड	693	500	193
16.	कर्नाटक	1375	1150	225
17.	केरल	605	514	91
18.	लद्दाख	17	10	7
19.	लक्षद्वीप	4	3	1
20.	मध्य प्रदेश	2028	1734	294
21.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
22.	मणिपुर	59	49	10
23.	मेघालय	99	57	42
24.	मिजोरम	74	41	33
25.	नागालैंड	34	24	10
26.	ओडिशा	1008	803	205
27.	पुदुचेरी	29	10	19
28.	पंजाब	797	585	212
29.	राजस्थान	1638	1342	296
30.	सिक्किम	35	23	12
31.	तमिलनाडु	1371	1040	331
32.	तेलंगाना	560	445	115
33.	त्रिपुरा	128	108	20
34.	उत्तर प्रदेश	3696	2449	1247
35.	उत्तराखंड	298	271	27
36.	पश्चिमी बंगाल		931*	83*
37.	अंडमान और निकोबार	1014*		
<b>कुल</b>		<b>25439</b>	<b>19996</b>	<b>5443</b>

स्रोत:- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

\*अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में कोई अलग स्वीकृत संख्या विद्यमान नहीं है और यह कुल स्वीकृत संख्या में सम्मिलित है, जो पश्चिमी बंगाल शीर्षक के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट स्तंभ में दिखाई देती है।

\*\*\*\*\*